कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 23.02.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–41 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. कामता प्रसाद पुत्र स्व0 गौरी खटीक नि0 भरहा पेरी पोखर थाना को0 नगर मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–55/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. कुन्ती पत्नी स्व0 जलेबी नि0 नेपाल पुरवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–131/21, 02. परवेज पुत्र शिव बालक नि0 नेपाल पुरवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–138/21, 03. अर्जुन पुत्र घिरहू नि0 खिरावा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–139/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. गरभी पुत्र रामसूरत, 02 जयनरायन पुत्र गरभी, 03. जीवनलाल पुत्र हरीप्रसाद नि0गण तेलियनपुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 1 किलो यूरिया व 1 किलो नौसादर बरामद कर मु0अ0सं0- 53 / 21, धारा 272 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।

02 अदद नाजायज चाकू के साथ, 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। मंगलवार जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान 02 अदद नाजायज चाकू के साथ 02 अभियुक्तों–01. अनुपम दूबे पुत्र दिलीप दूबे नि0 मरदन पुरवा मौजा मधवा नगर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा, 02. विवेक द्विवेदी पुत्र श्री नारायण दूबे नि0 कंचनपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर अभियुक्तों के विरूद्ध थाना खरगूपुर में मु0अ0सं0–52/21, 51/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

जालसाजी करने का आरोपी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। मंगलवार जनपद गोण्डा के थाना करनैलगंज पुलिस ने जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त हसमत पुत्र सराफत उल्ला नि0 निदुरा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को थाना करनैलगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0–433/21, धारा 419.420.467.468.504.506 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करके वादी श्री सिकन्दर खान पुत्र नेवाज नि0 निदुरा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा की जमीन बैनामा करवा लिया था तथा वादी को गाली–गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें करनैलगंज पुलिस ने वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर कटरा घाट से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।